

फर्द अहकाम

Dan & (नियम 26)

8 05m

मदालत

मुकाम

खतरवा

बनाम

सुखराम

मुकदमा

131/36 WR 04/1956

850

सन् 19

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

23/12  
19  
पत्रावली फेरालुडी। प्राचीन तहसीलदार, ओरिया  
के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत द्वारा 131/36  
सूराजपुत्र अधिनियम 1956 में प्रस्तुत कर  
निवेदन किया कि ग्राम हनुमाननगर  
के खतान 1072/1 खताना 13.12 जमाबंदी  
में खातारसं 162 में एक ही खताने के  
रूप में दर्ज है।

जबकि मौके पर पूर्व में किये  
विभाजन अनुसार मौके पर कलाकाशत  
अलग-2 है।

जमाबंदी से शी गेशन में कला  
काशत अनुसार बड़ा मखर अनुसार राजपुत्र  
जमाशा शी में दुरती करना आवश्यक है।

प्रार्थनापत्र के पक्ष में पखारी एवं  
निरीक्षक (सूक्ष्म) की मौका रिपोर्ट संलग्न है।  
सहमति के रूप में खातेदार सुखराम के  
हस्ताक्षर हैं। राजपुत्र रिकॉर्ड को दुरती  
करने की स्वीकृति दी जाती है। प्रस्तुत

प्रस्ताव बाद तसदीक एक परतपुनः  
लौराया जाग है। राजपुत्र रिकॉर्ड में अमलद (195  
करें। पत्रावली के खतानेदार होकर मखर  
से कम हो।

अप खण्ड अधिकारी  
सहायक पं. लेंक्टर व  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ओरिया



सुखराम